



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 20 जनवरी, 2021

पौष 30, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन  
राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 03/ग्यारह-2-21-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(171)-2021

लखनऊ, 20 जनवरी, 2021

अधिसूचना

प0आ0-25

एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 13 सन्, 2017) की धारा 20 और संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (अधिनियम संख्या 14 सन् 2017) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, अधिसूचना सं० 445/ग्यारह-2-9(47)-17-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश-(118)-2020, दिनांक 11 मई, 2020 में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में, खंड (j) के परंतुक में,-

- शब्द, अंक और अक्षर "29 नवंबर, 2020" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "30 मार्च, 2021" रख दिये जाएंगे;
- शब्द, अंक और अक्षर "30 नवंबर, 2020" के स्थान पर शब्द, अंक और अक्षर "31 मार्च, 2021" रख दिये जाएंगे;

2-यह अधिसूचना 01 दिसम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,  
आलोक सिन्हा,  
अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 03 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(171)-2021, dated January 20, 2021 :

No. 03 / XI-2-21-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order-(171)-2021

*Dated Lucknow, January 20, 2021*

IN exercise of the powers conferred by section 168A of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (Act. No. 13 of 2017), and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (Act. No. 14 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification no. 445/XI-2-9(47)/17-U.P.Act-1-2017-Order-(118)-2020, dated 11 May, 2020 namely :-

In the said notification, in the first paragraph, in the proviso to clause (i),

- (i) for the words, figures and letters "29<sup>th</sup> day of November, 2020", the words, figures and letters "30<sup>th</sup> day of March, 2021" shall be *substituted*.
- (ii) for the words, figures and letters "30<sup>th</sup> day of November, 2020", the words, figures and letters "31<sup>st</sup> day of March, 2021" shall be *substituted*.

2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from 1<sup>st</sup> day of December, 2020.

By order,  
ALOK SINHA,  
*Apar Mukhya Sachiv.*

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 681 राजपत्र-2021-(1342)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 76 सा० राज्य कर-2021-(1343)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।